

बसुदा (अजमेर)

20/7/15 वकील वादी उपस्थित। वादी वकील ने पत्रावली पर
हीदायत पेश की नहीं होने से पत्रावली नोट प्रेस पर खारिज करने
का निवेदन किया। अतः पत्रावली नोट प्रेस करने से खारिज की
जाती है। पत्रावली फैलल कुमार होकर नवंबर से कम हो
जाए इसके बाद सख्त हो।

He
~~उपस्थित अधिकारी~~
बसुदा (अजमेर)

Not press

(अजमेर)
कलवा (PS)

नोट प्रेस
15-11-2015
नदी की

